ग्राम पंचायत बासा बजीरां, विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176201 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बासा बजीरां, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री उदय पठानियां	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमति किरण वाला	01.04.2022 से 31.10.2023
2.	श्री नरेश कुमार	01.11.2023 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री मुकेश धीमान	01.04.2022 से 27.08.2023
2	श्री रविन्द्र कुमार	28.08.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमति अरूणा कुमारी	01.04.2022 से 11.07.2023
2.	श्री सुभाष सिंह	12.07.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत बासा बजीरां के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में) (₹)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	3.23
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	7.82
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.63
4	6.2	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.05
5	7.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	1.08
6	7.2	वैध ट्रांज़िट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	2.28
7	8.1	पेवर ब्लॉक के क्रय हेतु अनियमित भुगतान	5.93
8	8.2	मनरेगा अनुदान के अन्तर्गत करवाये गये निर्माण कार्यों के लिए सामग्री खरीद हेतु राशि का अधिक भुगतान	0.02
9	8.3	निर्माण कार्यों के लिये सीमेंट खरीदने हेतु हि0प्र0 सिविल सप्लाई को अधिक भुगतान करना	0.02
10	9	पत्थर खरीद पर रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक व गलत भुगतान करना	0.66
11	10	निर्माण कार्यो के अभिलेख प्रस्तुत न करना	16.49
12	11	बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना	1.06

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत बासा बजीरां के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.08.2024 से 30.08.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्वः स्त्रोत व अनुदानो की संयुक्त

हस्तगत रोकड़ बही के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	01/2023	05/2022
2023–24	11/2023	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेष राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/388 दिनांक 30.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को कांगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक नूरपुर के मल्टीसिटी चैक संख्या 092382 दिनांक 18.09.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2024/371 दिनांकः–22.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है:–

1.स्व–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	159327.06	2359194.42	2518521.48	1595203.00	923318.48
2023-24	923318.48	472002.00	1395320.48	901439.00	493881.48

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	928208.00	5959828.40	6888036.40	5791641.20	1096395.20
2023-24	1096395.20	1662839.00	2759234.20	1977560.00	781674.20

कुल योग (1+2) 493881.48+781674.20 =**1275555.68**

(ख). बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अंतशेष ₹12,75,555.68/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3**" के अनुसार अन्तशेष ₹15,98,409.48/–से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र.	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित/ वी.के.वी.एन.वाई/वाई.एस.एस/एस.डी.आर.एफ/एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक नूरपुर	20003061915	532582.42
2	आर.ए.वाई	का•के•सह•बैंक नूरपुर	50051960297	2678
3	14वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी.बैंक जस्सूर	50100170080096	6473.56
4	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	एच•डी•एफ•सी.बैंक जस्सूर	50100358617797	1053866.50
	हस्तगत शेष			2809
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹1598409.48
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹1275555.68
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹1598409.48
अन्तरः–				₹322853.80

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

ANNUAL REPORT

4 **(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹3.23/– लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बासा बजीरां द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना

में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹322853.80/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है। परिणामस्वरूप पंचायत के लेखे सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/374 दिनांकः–23.08.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.बी.डबल्यू 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत बासा बजीरां के बैंक खातो के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानो जैसे कि 5वां वित, वी.के. वी.एन.वाई, एस.डी.पी, एस.डी.आर.एफ, वाई.एस.एस इत्यादि की सयुंक्त हस्तगत रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, 5वां वित, वी.के.वी.एन.वाई, एस.डी.पी, एस.डी.आर.एफ व वाई.एस.एस, आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20003061915 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है एवं नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नही किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/387 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– जी.पी.बी.डबल्यू 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि स्कीम वाईज खातो का अनुसंधारण कर दिया जायेगा, प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख–रखाव न करने व स्कीम वाईज खातो का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार ही रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ङ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों के वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यों हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.एस.डी.पी	07–09/ 09.05.2022	43,232/ 25.03.2022, शून्य	पक्का रास्ता सेवक राम के घर से किशोरी मलकियत के घर तक वार्ड–3	107676
2.मनरेगा	16/ 18.05.2022	मस्टोल स0–913	निर्माण लेण्ड लेवलिंग पंकज पठानियां, सुलिन्द्र सिंह, रजत पठानियां इत्यादि की जमीन पर वार्ड–5	30528
3.मनरेगा	निल/ 21.05.2022	218/24.11.2022	निर्माण क्रेट वर्क सुरक्षा दीवार ग्रेली खड के पास वार्ड–4	100300
4.मनरेगा	निल/ 21.05.2022, 23.06.2023	228,83–85/01.12. 2022,05.03.2023	निर्माण क्रेट वर्क ग्रेली खड पर सरकारी नर्सरी के नजदीक वार्ड–4	442300
5.मनरेगा	112/ 21.05.2022	176/03.10.2022	निर्माण क्रेट वर्क केश्व, वेद कुमार, मनोज, ऋषि आदि की जमीन पर वार्ड–5	110330
6.मनरेगा	115/ 21.05.2022	240/18.12.2022	निर्माण क्रेट वर्क स्वरूप सिंह, विश्न सिंह, सुजान सिंह आदि की जमीन पर वार्ड–5	110330
7.मनरेगा	शून्य/ 21.05.2022	025/26.05.2022	निर्माण रास्ता व अतिरिक्त कार्य मेहरा मोहल्ला से काले की दुकान के पास लिंक रोड तक वार्ड–2	106250
8.वी.के.वी. एन.वाई	18/ 14.06.2023	94/27.03.2023	निर्माण सुरक्षा दीवार लाभ सिंह की जमीन पर वार्ड–3	43250

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाताबही के अभाव में उसकी वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/387 दिनांकः—30.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— जी.पी.बी.डब्ल्यू 01/2024 दिनांकः—30.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियों/लेखा खातो को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

5.1 अनुदान की राशि ₹7.82/— लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/371 दिनांकः—22.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि [redacted]**1 व** [redacted]**2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31—03—2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹7,81,674.20/— की राशि उपयोग हेतु शेष थीः—

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	आर.ए.वाई	31.03.2024	9152
2.	14वाँ वित	31.03.2024	344
3.	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	772178.20
		कुल जोड	**781674.20**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/375 दिनांक–23.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– जी.पी.बी. डबल्यू 01/2024 दिनांक:–30.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर ₹0.63 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत(Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/371 दिनांकः–22.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर की मद में **₹63333**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 2023–24 के दौरान कोई वसूली नहीं की गई थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का पर्याप्त कारणों के बिना वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप

सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 01.04.2022 को अथशेष व दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/376 दिनांकः—23.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— जी.पी.बी.डब्ल्यू 01/2024 दिनांकः—30.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा तथा मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर संधारित करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा दिये गए आश्वासनानुसार मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.05/— लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः— 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0070—60—108—01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/371 दिनांकः—22.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत बासा बजीरां द्वारा वर्ष 2022—23 व 2023—24 के दौरान ₹5800 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त गई परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः—

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1.	2022—23	2200
2	2023—24	3000
	जोड	**5200**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/376 दिनांकः—23.08.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत बासा बजीरां के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— जी.पी.बी.डबल्यू 01/2024 दिनांकः—30.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

7.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹1.08/— लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बासा बजीरां के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट—"6"** पर संकलित राशि ₹107585/— के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/383 दिनांकः—28.08.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— जी.पी.बी.डबल्यू 01/2024 दिनांकः—30.08.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर

लिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

, अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत क्रय किये गये प्रत्येक सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.2 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹2.28/– लाख की राजस्व हानि एवं समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप लाखो रूपये के अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है, अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट–"7"** पर संलग्न चुनिदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹2,27,582/– का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/386 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.बी.डबल्यू. 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों हेतु गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत, बजरी, बोल्डर से संबंधित एम फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त सामग्री से रॉयल्टी की राशि की वसूली भी नहीं की गई है। भविष्य में संविदाकार/व्यक्ति से

एम फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही अथवा रॉयल्टी की कटौती करने पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था तथा उक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इन प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

ANNUAL REPORT

8.1 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹5.93/- लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार राशि ₹5,92,960 के पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction. अनुसार निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, परिणामस्वरूप किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्र0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि(₹)
1	SDP	08/09.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Phase 1 Talara Bill No 232 dt.-Nil	3750	63750
2	NREGA	Nil/21.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles	8580	145860

				Industry Phase 1 Talara Bill No26 dt.-19.01.2022		
3	NREGA	Nil/21.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Phase 1 Talara Bill No 25 dt.-26.05.2022	6250	106250
4	NREGA	Nil/21.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Phase 1 Talara Bill No 24 dt.-26.05.2022	3600	61200
5	NREGA	Nil/21.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Phase 1 Talara Bill No 23 dt.-26.05.2022	5950	101150
6	NREGA	Nil/21.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Phase 1 Talara Bill No 22 dt.-26.05.2022	6750	114750
					योग	**592960**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/380 दिनांकः—27.08.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— जी.पी.बी.डबल्यू 01/2024 दिनांकः 30.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है, प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त व्यय को नियमानुसार सक्षम तकनीकी प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

8.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्यों के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.02/—लाख का अधिक भुगतान करना :—

निर्माण कुल्ह का डंगा व सुरक्षा दीवार काली दास, जोगिन्द्र सिंह इत्यादि की जमीन वार्ड—4 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2657 के पृष्ठ संख्या 82 व 84 में निर्माण सामग्री, सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 23031 दिनांक 18.01.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 126 बैग का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप

मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹2442 का अधिक भुगतान किया गया था:–

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
2.	मनरेगा	सीमेंट	126 बैग	120 बैग	6 बैग	407	2442

वास्तविक खप्त योग्य सामग्री का विवरण :–

2.Item-3,2 P/L(1:5:10) =46.20m3X 2.60(Cement. Factor) =**120.12 or say 120 Bags**

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/384 दिनांकः 29.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– जी.पी.बी.डब्ल्यू 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से करने उपरान्त संबंधित खाते में जमा करवा दी जायेगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 निर्माण कार्यो के लिये सीमेंट खरीदने हेतु हि0प्र0 सिविल सप्लाई को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

चयनित मासों 05/2022 व 06/2023 के वाउचरों के अंकेक्षण में पाया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया था:–

अनुदान शीर्ष	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.मनरेगा	शून्य/ 21.05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	52351 (149@351.35)	52096 (128@407)	255
2.मनरेगा	शून्य/	मै0हि.प्र.सिविल	सीमेंट	59730	59422	308

	21.05.2022	सप्लाई जस्सूर	बैग	(170@351.35)	(146@407)	
3.मनरेगा	शून्य / 21.05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	49189 (140@351.35)	48840 (120@407)	349
4.मनरेगा	शून्य / 17.05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	59730 (170@351.35)	59422 (146@407)	308
5.मनरेगा	शून्य / 17.05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	59730 (170@351.35)	59422 (146@407)	308
6.मनरेगा	शून्य / 17.05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	31621 (90@351.35)	31339 (77@407)	282
7.मनरेगा	शून्य / 17.05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	31621 (90@351.35)	31339 (77@407)	282
8.मनरेगा	शून्य / 21.05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	22486 (64@351.35)	22385 (55@407)	101
9.मनरेगा	शून्य / 21.05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	39351 (112@351.35)	39072 (96@407)	279
					कुल योग	**2472**

इस प्रकार से उपरोक्त बिल/वाउचरों द्वारा मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर को कुल मिलाकर ₹2472/– का अधिक भुगतान किया गया था।

उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/387 दिनांकः–30.08.2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.बी.डबल्यू 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई जस्सूर को किये गये अधिक भुगतान के बारे में उनसे पत्राचार कर लिया जायेगा तथा वसूली का समायोजन कर लिया जायेगा।

अतः अधिक किये गए भुगतान का सम्पूर्ण तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री सीमेंट में यदि उक्त अधिक भुगतान की अनियमितता पाई जाती है, तो उसका भी सम्पूर्ण अभिलेख तैयार व वसूली करना सुनिश्चित करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. निर्माण कार्यों के लिये पत्थर खरीद पर रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.66 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :–

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के क्लॉज 2.1.2.13 के अनुसार पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की 12.5 प्रतिशत कटौती की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास 06/2023 के वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग की गई निर्माण सामग्री पत्थर खरीद हेतु निम्न विवरणानुसार ₹530000/– का कुल भुगतान किया गया, लेकिन संविदाकार को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों (Voids) की 12.5 प्रतिशत कटौती न करने के कारण ₹66250 (530000@12.5%) का अधिक व अनियमित भुगतान किया गया। यह एक गम्भीर वितीय अनियमितता है :–

क्र0सं0 व अनुदान शीर्ष	वाउचर संख्या/ दिनांक	सामग्री	बिल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा (घन मीटर)	छर (प्रति घन मीटर)	राशि
1.मनरेगा	शून्य/ 23.06.2023	वोल्डर	83/ 05.03.2023	मै0 करनैल सिंह बासा बजीरा	120	1000	120000
2.मनरेगा	शून्य/ 23.06.2023	वोल्डर	84/ 05.03.2023	मै0 करनैल सिंह बासा बजीरा	120	1000	120000
3.मनरेगा	शून्य/ 23.06.2023	वोल्डर	85/ 05.03.2023	मै0 करनैल सिंह बासा बजीरा	100	1000	100000
4.मनरेगा	शून्य/ 23.06.2023	वोल्डर	62/ 15.12.2022	मै0 करनैल सिंह बासा बजीरा	100	1000	100000
.5मनरेगा	शून्य/ 23.06.2023	वोल्डर	79,80/ 05.03.2023	मै0 करनैल सिंह बासा बजीरा	90	1000	90000
							530000

उक्त अधिक एवं अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/385 दिनांकः–29.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.बी.डबल्यू 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त अनियमितता अनभिज्ञ होने के कारण हुई है, प्रस्तुत प्रत्युतर उपरोक्त नियमानुसार संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त किये गए अधिक व अनियमित भुगतान को पूर्ण समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10. मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में राशि ₹16.49/– लाख के अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बासा बजीरां की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियन्ता स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यो के अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेखो को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे उक्त कर्मचारी के स्तर पर किये गये कार्यो व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय खपत की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मास	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख
1.मनरेगा	10/ 05.05.2022	05/2022	निर्माण क्रेट वर्क ग्रेली खड की कुल्ह वार्ड–4	51304	बजट प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका, 34–सी
2.मनरेगा	शून्य/ 21.05.2022, 02.06.2023	05/2022, 06/2023	निर्माण क्रेट वर्क सुरक्षा दीवार ग्रेली खड के पास वार्ड–4	110860	बजट प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड पत्र, माप पुस्तिका व 34 सी
3.मनरेगा	शून्य/ 21.05.2022, 23.06.2023	05/2022,06 /2023	निर्माण क्रेट वर्क ग्रेली खड पर सरकारी नर्सरी के नजदीक वार्ड–4	442300	बजट प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड पत्र, माप पुस्तिका व 34 सी
4.मनरेगा	112/ 21.05.2022	05/2022	निर्माण क्रेट वर्क केश्व, वेद कुमार, मनोज ऋषि आदि की जमीन पर वार्ड–5	211330	बजट प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका,34–सी
5.मनरेगा	115/21.05. 2022	05/2022	निर्माण क्रेट वर्क स्वरूप सिंह, विश्न सिंह, सुजान सिंह	200330	बजट प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, अवार्ड पत्र व माप

			आदि की जमीन पर वार्ड–5		पुस्तिका,34–सी
6.मनरेगा	शून्य / 21.05.2022	05 / 2022	निर्माण खेल मैदान और अतिरिक्त कार्य कण्डी वार्ड–3	43680	प्रस्ताव, माप पुस्तिका व 34 सी
7.मनरेगा	शून्य / 21.05.2022	05 / 2022	निर्माण जीपेवल रोड / नाली और अतिरिक्त कार्य बाग मोहल्ला वार्ड–3	127928	बजट प्राक्कलन ,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,कार्य आदेश, माप पुस्तिका व 34 सी
8.मनरेगा	शून्य / 17.05.2022	05 / 2022	निर्माण जीपेवल रोड व अतिरिक्त कार्य तालाव से ओम पठानिया के घर तक वार्ड–3	132771	माप पुस्तिका व 34 सी
9.मनरेगा	शून्य / 02.06.2023	06 / 2023	निर्माण सुरक्षा दीवार रास्ते की सुरजीत , ओम पठानियां दलजीत आदि की जमीन के साथ वार्ड–2	9728	माप पुस्तिका व 34 सी
10.मनरेगा	शून्य / 23.06.2023	06 / 2023	निर्माण सुरक्षा दीवार व अतिरिक्त कार्य नाले के पास, ओम प्रकाश कृपाल सिंह आदि वार्ड–2	95560	माप पुस्तिका व 34 सी
11.मनरेगा	शून्य / 23.06.2023	06 / 2023	निर्माण नाली / सुरक्षा दीवार कान्ता देवी, सुरजीत, जोगिन्द्र आदि के घर के पास	63146	माप पुस्तिका व 34 सी
12.मनरेगा	शून्य / 23.06.2023	06 / 2023	निर्माण सुरक्षा रमेश सिंह, हान्डु राम, सुनील सिंह, आकृति आदि की जमीन पर वार्ड–1	160550	माप पुस्तिका व 34 सी
			कुल योग	**1649487**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत बासा बजीरां से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/381 दिनांकः–27.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.बी. डबल्यू 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अभिलेख विकास खण्ड कार्यालय नूरपुर में जमा है, प्रस्तुत प्रत्युतर उपरोक्त नियमानुसार संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व हि•प्र• पचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित के अनुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. राशि ₹1.06/– लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार **₹106262/–**का भुगतान दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि उपरोक्त नियम की पूर्णतः अवहेलना है व एक अतयन्त गम्भीर अनियमितता है।

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं. /दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान की गई राशि (₹)
1	मनरेगा	शून्य/ 17.05.2022	13949/ 15.03.2022	निर्माण कुल्ह का डंगा व सुरक्षा दीवार कालीदास, जोगिन्द्र सिंह इत्यादि की जमीन वार्ड–4	49189
2.	मनरेगा	शून्य/ 20.06.2023	मस्टोल स. –1242, 1243	निर्माण क्रेट वर्क व सुरक्षा दीवार गरेली खड के पास वार्ड–4	15257
3.	मनरेगा	शून्य/ 19.06.2023	मस्टोल स. –1246	निर्माण सुरक्षा दीवार रास्ते की सुरजीत, ओम पठानिया दलजीत आदि की जमीन के साथ वार्ड 2	2508
4.	मनरेगा	निल/ 23.06.2023	047/05. 09.2022	नि0 सुरक्षा दीवार रमेश सिंह, मदन सिंह, हान्डु राम, सुनील सिंह, सुरेखा आकृति आदि जमीन पर वार्ड 1	39308
				कुल योग	**106262**

उक्त बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/382 दिनांकः–27.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.बी.डब्ल्यू 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिल/वाउचरो को आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा, प्रस्तुत उतर उपरोक्त नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त सभी बिल/वाउचर अंकेक्षण को दिखाए जाने सुनिश्चित किये जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके संबंधित शीर्ष के खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हो सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से इस विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए।

12. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹34.82/– लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के वाउचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹34,82,140/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त के अभाव में किये गये भुगतानो की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अनियमितता है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/387 दिनांकः–30.08.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत बासा बजीरां के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.बी.डब्ल्यू 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

नोटः– उपरोक्त व्यय अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए बिल/वाउचरो से संबंधित है।

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "8.1" व "10" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4.निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, एम फॉर्म को प्रस्तुत न करने की एवज में रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/387 दिनांकः– 30.08.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत बासा बजीरां को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.बी.डब्ल्यू 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है तथा विभिन्न निर्माण कार्यो से संबंधित प्रपत्र–34 को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया इन्हे तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य नियम), 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/371 दिनांकः 22.08.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.बी.डबल्यू 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी ,जिससे लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/371 दिनांकः–22.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.बी.डब्ल्यू 01/2024 दिनांकः–30.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा, नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

16.1 रसीद बुको का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुको के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानो के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुको का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में

प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदो का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदो के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदो का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत बासा बजीरां द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत बासा बजीरां के चयनित मासों के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16.3 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022—23 व 2023—24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः**– लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतम नियमों व समय 2 पर जारी दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

16 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्र0

5415 – 5419

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)437 / 2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बासा बजीरां, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

16 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्र0

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP BASA BAJARIAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	159327.06	2359194.42	2518521.48	1595203.00	923318.48
2023-24	923318.48	472002.00	1395320.48	901439.00	493881.48

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	928208.00	5959828.40	6888036.40	5791641.20	1096395.20
2023-24	1096395.20	1662839.00	2759234.20	1977560.00	781674.20

पंचायत सचिव
ग्राम प. बासा बजीरां
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

26

ANNEXURE -2(पैरा संख्या -5.1)

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BASA BAJARIAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	RAY	2022-23	9000.00	72.00	9072.00	0.00	9072.00
		2023-24	9072.00	80.00	9152.00	0.00	9152.00
2	14TH FC	2022-23	42818.00	231.00	43049.00	42800.00	249.00
		2023-24	249.00	95.00	344.00	0.00	344.00
3	15TH FC/ZP/PS	2022-23	876390.00	1289564.00	2165954.00	1078879.80	1087074.20
		2023-24	1087074.20	134439.00	1221513.20	449335.00	772178.20
4	MNREGA	2022-23	0.00	4669961.40	4669961.40	4669961.40	0.00
		2023-24	0.00	1528225.00	1528225.00	1528225.00	0.00

पंचायत सचिव
ग्राम प. बासा बजीरां
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

27

परिशिष्ट–3(पैरा संख्या 4·1 (ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत बासा बजीरा विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत बाजा बजीरां के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित/ वी.के.वी.एन.वाई/वाई.एस.एस/एस.डी.आर.एफ/एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक नूरपुर	2003061915	245494	532582.42
2	आर.ए.वाई	का•के•सह•बैंक नूरपुर	50051960297	2408	2678
3	14वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी.बैंक जस्सूर	50100170080096	6098.56	6473.56
4	15वाँवित्त/पी.एस/जेड.पी	एच•डी•एफ•सी.बैंक जस्सूर	50100358617797	1158078.30	1053866.50
	हस्तगत शेष(हस्तगत रोकड.बही के अनुसार)				2809
			कुल जोड.	**1412078.86**	**1598409.48**

पंचायत सचिव
ग्रा.प. बासा बजीरां
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

28

परिशिष्ट—4 (पैरा संख्या "8.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत बासा बजीरां विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

दिनांक 31—03—2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकर:—

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या: 2022—23 में 472 तथा 2023—24 में 520 परिवारों का रु 30/50/— प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:—

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022—23	48263	472	30	14160	62423	25090	37333
2023—24	37333	520	50	26000	63333	0	63333
	नोटः— दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹ 63333/—** है।						

पंचायत सचिव
ग्राम प. बासा बजीरां
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

29

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या "6.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत बासा बजीरां विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2022–23	2200
2	2023–24	3000
	जोड़	**5200**

पंचायत सचिव
ग्रा.प. बासा बजीरां
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

30

परिशिष्ट "6" (पैरा संख्या - 7.2)

ग्राम पंचायत बासा बजीरां विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार/पुस्तिकाओं में न करना।								
अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.NREGA	Nil/20.06.2023	Cemented Sign Board(with GST)	636-649/05.09.2022	M/S Bachan Anand Mohalla Khataria Nurpur	14	2950	41300	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.NREGA	Nil/20.06.2023	Cemented Sign Board(with GST)	655-661/05.09.2022	M/S Bachan Anand Mohalla Khataria Nurpur	7	2950	20650	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
3.SF	19/14.06.2023	Stationery	1059/Nil	M/s Mohan Printing Press	—	—	5135	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4.VKVNY	18/14.06.2023	Sand(m3)	94/27.03.2023	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	9	1700	15300	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नही की गई
		Agg.(40mm)m			10	1400	14000	
		Agg.(20mm)m			7	1600	11200	
						कुल योग	**107585**	

पंचायत सचिव
ग्राम प. बासा बजीरां
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

31

परिशिष्ट -7 (पैरा संख्या "7.2") 49

ग्राम पंचायत बासा बजीरां, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि								
Name of Supplier	**Vr. No. & Date**	**Bill No. & Date**	**Name of Item**	**Qty. (cum)**	**Determining Fator**	**Qty. (in MT.)**	**Royality (Per MT.)**	**Due Royality**
				SDP,MNREGA,VKVNY				
M/s Karnail Singh Bassa Waziran Nurpur	07/09.05.2022	43/25.03.2022	Sand	11.000	1.62	17.820	80	1425.60
			Bajri	13.000	1.52	19.760	80	1580.80
do	Nil/21.05.2022	19/22.08.2021	Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
do	Nil/21.05.2022	20/22.08.2021	Bajri	26.000	1.52	39.520	80	3161.60
do	Nil/21.05.2022	21/22.08.2021	Bajri	6.000	1.52	9.120	80	729.60
do	Nil/21.05.2022	22/01.09.2021	Bajri	26.000	1.52	39.520	80	3161.60
do	Nil/21.05.2022	31/20.12.2021	Sand	34.000	1.62	55.080	80	4406.40
			Bajri	51.000	1.52	77.520	80	6201.60
do	Nil/21.05.2022	32/20.12.2021	Sand	19.000	1.62	30.780	80	2462.40
			Bajri	33.000	1.52	50.160	80	4012.80
do	Nil/21.05.2022	33/20.12.2021	Sand	35.000	1.62	56.700	80	4536.00
			Bajri	42.000	1.52	63.840	80	5107.20
do	Nil/21.05.2022	34/26.12.2021	Sand	30.000	1.62	48.600	80	3888.00
			Bajri	49.000	1.52	74.480	80	5958.40
do	Nil/21.05.2022	35/26.12.2021	Sand	19.000	1.62	30.780	80	2462.40
			Bajri	33.000	1.52	50.160	80	4012.80
do	19/14.06.2023	94/27.03.2023	Sand	9.000	1.62	14.580	80	1166.40
			Bajri	17.000	1.52	25.840	80	2067.20
do	Nil/23.06.2023	83/05.03.2023	Boulder	120.000	2.24	268.800	80	21504.00
do	Nil/23.06.2023	84/05.03.2023	Boulder	120.000	2.24	268.800	80	21504.00
do	Nil/23.06.2023	85/05.03.2023	Boulder	100.000	2.24	224.000	80	17920.00
do	Nil/23.06.2023	49/05.09.2022	Sand	28.000	1.62	45.360	80	3628.80
			Bajri	57.000	1.52	86.640	80	6931.20
do	Nil/23.06.2023	50/05.09.2022	Sand	19.000	1.62	30.780	80	2462.40
			Bajri	37.000	1.52	56.240	80	4499.20
do	Nil/23.06.2023	62/15.12.2022	Boulder	100.000	2.24	224.000	80	17920.00
do	Nil/23.06.2023	79/05.03.2023	Boulder	90.000	2.24	201.600	80	16128.00
do	Nil/23.06.2023	47/05.09.2022	Sand	27.000	1.62	43.740	80	3499.20
			Bajri	60.000	1.52	91.200	80	7296.00
							Total	**182065.60**
							25% Penalty	**45516.40**
							G.Total	**227582.00**

प्रधान ग्राम पं. बासा बजीरां वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

32